

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक एफ 5(230)प्राशिनि/ई-2/2012/


दिनांक

परिपत्र

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा पब्लिक नोटिस जरिये विज्ञापन संख्या PG/07/(01)/2012 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर अपने वेब पोर्टल पर उपलब्ध नोटिफिकेशन F. No. 37-3/Legal/2012 dated 25-05-2012 अनुसार सभी तकनीकी संस्थानों हेतु संस्था स्तर पर शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) का गठन किया जाकर उसकी सूचना संस्था की वेबसाईट, विवरणिका एवं नोटिस बोर्ड पर अंकित कर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः राज्य की समस्त निजी एवं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि वे उक्त नोटिफिकेशन अनुसार संस्था स्तर पर शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) का गठन करें। समिति की जानकारी संस्था की वेबसाईट, विवरणिका एवं नोटिस बोर्ड पर अंकित कर व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा इसकी सूचना अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद् के चण्डीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार आवेदन नहीं करने की स्थिति में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों हेतु संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेवार होंगे।


निदेशक, प्राविधिक शिक्षा